रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032025-261499
CG-DL-E-07032025-261499

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]	नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 7, 2025/फाल्गुन 16, 1946
No. 128]	NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 7, 2025/ PHALGUNA 16, 1946

नागर विमानन मंत्रालय

(नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च , 2025

सा.का.नि. 162(अ.).— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, नागर विमानन मंत्रालय में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो में विधि अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का नाम नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, विधि अधिकारी, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्टानुसार होगा।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और इस पद से संबंधित अन्य मामले, उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में निर्दिष्टानुसार होंगे।

4. निरहर्ता – कोई भी ऐसा व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, जिसका जीवनसाथी जीवित है;

या

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यह कि, यदि केंद्रीय सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार विद्यमान हैं, तो केंद्रीय सरकार किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

5. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	क्या चयनित पद/ ग़ैर-चयनित पद हैं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विधि अधिकारी	2* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन संभव।	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय।	लेवल - 10 (वेतन मैट्रिक्स में रु. 56,100 – 1,77,500)।	लागू नहीं।

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और अन्य शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है?	परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी: (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-9 या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में दो वर्ष की सेवा की हो, या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल-8 या समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस ग्रेड में चार वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव प्राप्त हों:- **अनिवार्य:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक की डिग्री; और (ii) विधिक कार्य का तीन वर्ष का नियमित अनुभव।	लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

वांछनीय: कुल अनुभव में से कम से कम एक वर्ष का नियमित विधिक कार्य का अनुभव विमानन सुरक्षा से संबंधित मामलों में होना चाहिए। **टिप्पणी 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सहित, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2:** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए-11013/3/2019-पर्स-बीसीएएस-भाग-(2) (ई-258217)]
प्रमोद कुमार ठाकुर, उप महानिदेशक

MINISTRY OF CIVIL AVIATION
(Bureau of civil aviaition security)
NOTIFICATION

New Delhi, the 6th March, 2025

G.S.R. 162(E)- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Law Officer in the Bureau of Civil Aviation Security, in the Ministry of Civil Aviation, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Civil Aviation, Bureau of Civil Aviation Security, Law Officer, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of said post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living,

or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-serviceman & other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Pay Level in the Pay Matrix.**	**Whether selection post/non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Law Officer.	2* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 10 (Rs. 56,100–1,77,500) in the Pay Matrix	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and other educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Deputation (including short-term contract)

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Deputation (including short-term contact): Officers of the Central Government/State Governments/Union territories/autonomous or statutory organization/recognised universities/recognised research institutions: (A)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-9 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department, or (iii) with four years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-8 in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience: **Essential:** (i) Bachelors Degree in Law from a recognised university or institute; and (ii) three years regular experience of legal work. **Desirable:** Out of total experience, at least one year regular experience of legal work should be in Aviation Security related matters. **Note 1:** Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of the applications.		

[F. No: A-11013/3/2019-PERS-BCAS-Part (2) (E-258217)]

PRAMOD KUMAR THAKUR, Dy. Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.07 16:40:01 +05'30'